

**अंचल कार्यालय, मेहरमा (गोड्डा)**

**आदेश-फलक**

अभिलेख संख्या-

**82/2016**

वाद का प्रकार - सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त जमाबंदी को रद्द/संशोधन करने संबंधी

सरकारी भूमि बंदोबस्त रैयत का नाम- **महाराज रविदास**

पिता/प्रति- **कुमार चमार**

मौजा **अमौर**

थाना नम्बर- **13**

अंचल- मेहरमा

जमाबंदी नम्बर- **84/क**

दाग नम्बर- **—**

रकबा- **00-08-10/0.17751**

तिथि	आदेश	संख्या
<u>19.10.16</u>	<p>मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 2074/रक दिनांक 13.05.2016 एवं भूमि सुधार उपसमार्ह्या, गोड्डा के पत्रांक 264/भूकु गोड्डा दिनांक 18.05.2016 एवं अपर समार्ह्या, गोड्डा के पत्रांक 1109/रक दिनांक 26.08.2016 के द्वारा सरकारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से सरकारी भूमि का कराए गए अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती को अभियान चला कर बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा- 4 (h) के तहत विधिवत सुनवाई करते हुए रद्द करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 466/रक दिनांक 22.06.2016 एवं ज्ञापांक 688/रक दिनांक 07.09.2016 के द्वारा संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से सरकारी भूमि का अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती से संबंधित मौजावार/हल्कारवार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई।</p> <p>उक्त के आलोक में संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन सह भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त रैयत <u>महाराज रविदास</u></p> <p>पिता/प्रति.....<u>कुमार चमार</u>.....मौजा-<u>अमौर</u>..... को उनके दावे से संबंधित सभी प्रमाण/कागजात के साथ दिनांक <u>28.10.16</u> को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>लेखापित।</p> <p><i>(Signature)</i> 19.10.16</p> <p>अंचल अधिकारी मेहरमा।</p>	
	<p><i>(Signature)</i> 19.10.16</p> <p>अंचल अधिकारी मेहरमा।</p>	

18-10-16

अभिलेख उपस्थापित / गोड्डा में वैठ, अभिलेख  
दिनांक 03-11-16 को उपस्थापित करे।  
लेखापित

अं. नं.  
मंडल

अं. नं. अधिकारी  
मंडल

17-06/2021

अभिलेख उपस्थापित वादी को पुनः  
सूचना विगते करे। सि. नं. के साथ  
दिनांक 25/06/2021 को रखे।

२  
अं. नं.

23/8/23

अभिलेख उपस्थापित विवादगत कृषक  
पर आपने दायर से कोर्ट में वैठ-  
वस्थापित को के साथ उपस्थापित  
होने के नु वन्दोवस्तदार को गोड्डा  
विगत करे।

अभिलेख दिनांक 8/9/2022 को रखे

२  
अं. नं. अधिकारी  
मंडल

8/9/2023

अभिलेख उपस्थापित। नोटिफा का ताकिला  
 पात्र। बन्दोवस्तु बार उपस्थापित। उनके  
 द्वारा मौजूद अर्थात् प्रमाण नं 13 खता नं  
~~84~~ रवेखा खाना 447 खता नं 8-1041  
 जिस परती कच्ची खराब से संबंधित  
 अनुमति पदा. गौड़ा के बन्दोवस्ती बाट  
 खाना 225/1978-89 में किनांक  
 31-5-79 को जारीत आदेश की धारणा  
 अंश अधिकारी मेहरना के-पत्रांक 977 रा.  
 किनांक 20/9/2019 से प्रेषित अनुबंध  
 पत्र की हारायति एवं लगान रसीद  
 की हारायति समाप्त किया गया है  
 समाप्त कता जात का अवलोकन किया  
 अंश पत्र की से मिलान किया,  
 धर्ष पाया। अतः उपरोक्त दस्तावेजों  
 के अलोक में बाट की कार्रवाई  
 समाप्त करने की अनुबंधा-सी-जारी है  
 अभिलेख उपस्थापित। गौड़ा  
 को भेजा।

लेखापति

अंश अधिकारी-  
मेहरना

जा  
 20/9/2019  
 अंश अधिकारी  
 मेहरना